

ज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- राजाखेडा

बाबू नट बनाम फगुनी वगै०

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र U/S 212 R.T.Act नम्बर 52 सन् 23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.06.2023	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए बाद जांच दफतर से पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो, शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं सायल के सुना गया। प्रथम दुष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसालयान को दिनांक 07.08.2023 तक के लिए जारी किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा 1256 स्थित ग्राम दिहौली तहसील राजाखेडा पर रिकार्ड एवं मौके की यथा-स्थिति बनायें रखें, कब्जे काशत में दखलन्दाजी नहीं करें, निर्माण नहीं करें। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 07.08.2023 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र पेश करे। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 07.08.2023 को पेश हो।</p> <p>7/6/23</p> <p>पत्रावली पैरा 1 की वकील सायल उज्र वकील प्राणी/सायल की प्रार्थना अनुसार मूल सायल वाद Net Press में जारी किया गया। पुस्तकें आत! मूल सायल वाद की वकील में प्रा.पत्र 212 RTA भी Net Press में जारी किया जाकर दिनांक 27/6/23 को प्रा.पत्र के निरस्तकरण अवसर परवात तहसीलवा रजि.पत्रों को प्राणी हो पत्रावली के शल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p>	<p>Si. A. net          Pressed          A<sup>o</sup></p>